P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-VII March-2015
E: ISSN NO.: 2349-980X

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के विभिन्न आयाम :एक अध्ययन

एस0जे0श्रीवास्तव
पूर्व विभागाध्यक्ष,
अर्थ"ाास्त्र विभाग,
डी0बी0एस0 कालेज,
कानपुर

अर्चना यादव
शोधार्थिनी,
अर्थ"ाास्त्र विभाग,
सी0एस0जे0एम0 वि"वविद्यालय,
कानपुर

सारांश

भारत जैसे विकास"ाील दे"ा की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में उद्योगो की वि"ोष भूमिका है। उत्तर प्रदे"ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदे"ा है तथा प्राकृतिक संसाधनो, अनुकूलन जलवायु एंव उपजाऊ भू–सम्पदा से परिपूर्ण है कृषि क्षेत्र के बाद प्रदे"ा में औद्योगिक विकास को गति"ाील कर प्रदे"ा के आर्थिक संसाधनो में वृद्वि की पर्याप्त सम्भावनाए है वर्तमान सरकार प्रदे"ा में औद्योगिक वातावरण को गति"ालता प्रदान करने हेतु आव"यक सुविधाए जैसे सड़क विद्युत की मांग की पूर्ति सुनियोजित ढ़ग से पूर्ण करने हेतु कृत संकल्प है।

प्रदे"ा सरकार द्वारा उद्योगो एंव निवे"ाको को आकर्षित करने हेतु आठ वर्ष के प"चात् अवस्थापना एंव औद्योगिक निवे"ा नीति–2012 घोषित की गई जिसमें अवस्थापना, सुविधाओ का विकास, औद्योगिक वातावरण में सुधार, सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्यम को प्रोत्साहन, पूंजी निवे"ा को आकर्षित करने हेतु वित्तीय अनुदान एंव छूट मानव शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्षमता विकास तथा प्राथिमिकता वाले क्षेत्रो के प्रोत्साहन हेतु वि"ोष नीतियो के निर्धारण हेतु कई प्रावधान किये गये इसमें उत्तर प्रदे"ा व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्तरो पर आयोजित मेलों के माध्यम से प्रदे"ा की औद्याोगिक इकाईयो को विपणन की सुविधा के साथ ही निर्यात के अवसर भी उपलब्ध कराये जा रहे है।

उत्तर प्रदे"ा औघोगिक विकास निगम नोएड़ा ग्रेटर नोएड़ा एंव अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणो तथा संस्थाओ के माध्यम से प्रदे"ा में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओ का विकास किया जा रहा है।

मुख्य शब्द : औद्योगिक विकास, पूंजी निवे"ा, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, रोजगार सृजन कार्यक्रम।

परिचय

स्वतंत्रता के प"चात् पांचवी द"ाक में हमने जो प्राथमिकताये निर्धारित की थी और जिनके आधार पर हमने वि"व के विकति दे"ाो की पक्ति में अपनी उपस्थित दर्ज की है। आज उन्ही का अनुश्रावण कर नई सरकार ने प्रदे"ा में उद्योग, विकास एंव रोजगाार सृजन को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु कटिवद्ध है नई चुनौतियो के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदे"ा के पारम्परिक/लघु/मध्यम उद्योगो को सरकार आव"यक सुविधाये एंव सहायता उपलब्ध कराये कराये जाने पर विभिन्न औद्योगिक एंव सामाजिक संगठनो द्वारा बल दिये जाने के फलस्वरुप सरकार ने अपने वार्षिक एंव पंचवर्षीय योजनाऐं शार्ट टर्म एंव लॉग टर्म तैयार की है उसमें प्रदे"ा के गरीब तथा बेरोजगाार लोगो की बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगाार उपलब्ध कराने हेतु, औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुख योजनाओ का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है।

सूक्ष्म एंव लघु उद्योगो की स्थापना

दे"ा एंव प्रदे"ा की आर्थिक उन्नति में लघु एंव सूक्ष्म उद्योंगो का महत्वपूर्ण योगदान है। लघु उद्योंगो के त्वरित विकास के लिए सरकार द्वारा गठित विभागो के द्वारा कई योजनाओ का क्रियान्वन किया जा रहा है जिसमें हस्त"ाल्पियो को प्र"िाक्षण औद्योगिक संस्थानो में अवस्थापना संबंधी सुविधाओ को उच्चीकरण त्वरित निर्गत विकास प्रोत्साहन योजना लधु उद्योग क्लास्टर विकास योजना लघु तकनीकी उन्नयन योजना आदि उल्लेखनीय है।

सूक्ष्म उद्यमियो को विभाग द्वारा अपने उद्योगो के मेमौ–रेंण्डम त्वरित तरीके से फाइलिंग हेतु उद्यम ज्ञापन भाग 1 (नये स्थापित होने वाले उद्योग) तथा ज्ञापन 2 (स्थापित उद्योग) को आनलाइन दाखिल किये जाने तथा उनका एक्नालेजमेन्ट आपलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है इसका शुभारम्भ 16.11.2012 से कर दिया गया है इससे उद्यमियो को उद्योग स्थापित करने में

वि"ोष मद्द मिल रही है।

सूक्ष्म एंव लघु उद्योगो की वर्षवार प्रति का विवरणः–

वर्श	लक्ष्य	सूक्ष्म एंव लघु उद्योगो की स्थापना	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू0 में)	रोजगार सृजन
2006–07	30000	28487	507.59	120876
2007–08	33000	31734	1270.83	148985
2008–09	33000	33302	2046.80	171141
2009–10	33000	34063	3474.12	175504
2010–11	33000	34178	3188.43	175120
2011–12	33000	33532	3452.93	186755
2012–13	50000	28565	2169.58	179531

मार्च 2012 के आर्थिक क्षेत्रवार वि"ालेषण से स्वतः स्पष्ट है कि प्रदे"ा के अन्तर्गत औद्योगिक विकास समान रुप से नही हो पा रहा है, प्रमुख रुप से लगभग 50% उद्योग उत्तर प्रदे"ा के प"िचम क्षेत्रो में तथा उसमें गाजियाबाद एवं नोयडा ही उद्योगो का केन्द्र बनते जा रहे है जिससे प्रदे"ा के आर्थिक विकास प्रक्रिया में असन्तुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे सरकार को एक ही क्षेत्र के विकास के लिए अधिक पूजी की व्यवस्था करनी पड़ती है।

आर्थिक क्षेत्रवार सूक्ष्म एंव लघु उद्योगो की स्थापना एंव रोजगार सृजन की स्थिति निम्नवत् है।

आर्थिक क्षेत्र	स्थापित इकाइया	पूंजी निवेश (करोड़ रुपया)	सृजित रोजगार
पश्चिम	374279	12389.60	1735272
पूर्व	207124	3101.73	756549
मध्य	120964	3267.19	474411
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	45046	575.78	138409
योग	747413	19334.31	3104641

जिला उद्योग केन्द्र योजना

इस योजना का प्रारम्भ 1978–79 में निम्नलिखित उददे"यो की पूर्ति हेतु किया गया है।

1. लघु एंव ग्रमीण उद्योगो को प्रोत्साहित करके रोजगार के अधिकाधिक सृजन एंव औद्योगिकरण की गति में तीव्रता लाना।
2. उद्योगो की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमिया को एक ही छत के नीचे उद्योग स्थापना की समस्त जानकारी एंव सभी सुविधा उपलब्ध कराना।
3. लघु एंव छोटे उद्योगो के विकास के लिए अवस्थापना का प्रबन्धक, तकनीकी उद्यमिता विकास तथा सर्वेक्षण करना।
4. लघु उद्यमियो की विभिन्न स्तरो पर अनुमतिया/स्वीकृतिया शीघ्र जारी करने के उददे"य से जिला बन्धु की स्थापना प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई है।

उपरोक्त उददे"यो की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में जिला उघोग की स्थापना की इन जिला उद्योग केन्द्रो में लघु उद्योगो के अस्थाई/स्थाई पंजीकरण भूमि एंव भवन कच्चा माल म"ाीन यंत्र उपकरण संयत्र तकनीकी मार्गद"ान ऋण एंव विद्युत आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

एकल मेज व्यवस्था

एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था का उददे"य उद्योगो को विभिन्न विभागो अनुमादन स्वीकृतियो आपत्तियो लाईसेन्स आदि के संबंध में आवेदन पत्र का निस्तारण एक ही स्थान पर केन्द्रीय तथा समय बद्ध रुप से सम्पन्न करना है। ताकि उद्यमियो को विभिन्न विभागो में उपरोक्त कार्य हेतु बार–बार चक्कर लगाने की कठिनाई से मुक्त किया जा सके एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था का प्रभावी संचालन सुनि"चित करने का दायित्व महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को दिया गया है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम

बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास को गति देने तथा बेरोजगार ि"ाक्षित/प्रि"ाक्षित एंव तकनीकी व्यक्तिया को अपना व्यवसाय करने हेतु यह योजना सरकार द्वारा वर्ष 1978–79 में संचालित की गई।

औद्योगिक इकाईयो को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अतिआव"यक है कि उद्यमी को सभी प्रकार की जानकारी हो इसी उददे"य की पूर्ति हेतु उद्यमिता विकास प्रि"ाक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदे"ा में विभिन्न प्रि"ाक्षण संस्थाओ द्वारा एंव जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रत्येक वर्ष उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित कर उद्यमियो को उद्योग स्थापना करने हेतु प्रि"ाक्षण देकर प्रेरित किया जा रहा है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम का वर्षवार विवरण

वर्ष	बजट स्वीकृत (लाख रुपये में)	व्यय	आयोजित शिविर		प्रशिक्षार्थियों की संख्या	
			लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
2006–07	96.02	93.35	1565	1558	71500	71223
2007–08	66.76	55.36	560	487	22520	20443
2008–09	16.50	16.50	370	370	17100	17100
2009–10	05.00	05.00	18	18	540	540
20010–11	05.00	05.00	38	38	1240	1240
20011–12	06.00	06.00	40	40	1200	1200
20012–13	06.00	-	110	-	4800	-

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

भारत सरकार ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूर्व में संचालित प्रधान मंत्री रोजगार योजन एंव ग्रमीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को संविलिन करते हुए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008–09 में शुरु किया इसका उदद्े"य नये रोजगार उद्योगो/परियोजनाओ/सूक्ष्म उद्यमो की स्थापना के माध्यम से दे"ा के ग्रमीण आर शहरी क्षेत्रो में औद्योगिक विकास सुनि"चित करना एंव रोजगार के अवसर का सृजन करना। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति उठा सकता है जिसकी शैक्षिक योग्यता कम से कम 8 वी उत्तीर्ण होनी चाहिए वह व्यक्ति न्यूनतम 1 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक बैंक से त्रणा के रुप में प्राप्त कर सकता है।

इसके अर्न्तगत सरकार निम्नवत सहायता प्रदान करती है।

लाभार्थियो की श्रेणी	लाभार्थियां का अंशदान (परियोजना लागत) में	सब्सिडी/ मार्जिन मनी की दर	
क्षेत्र		शहर	ग्रमीण
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
वि"ोष (अनुसूचित जाति/जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/महिला/ पूर्व सैनिक/विकलांग)	5%	25%	35%

बीमार लघु एंव लधुउत्तर औद्योगिक इकाईयो का पुनर्वासन

औद्योगिक इकाईयो में बढ़ती हुई रुग्णता के कारण औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक उद्योग की रुग्णता दूसरे उद्योगो को प्रभावित करती है औद्योगिक इकाईयो को सावधि ऋण भुगतान समयान्तर्गत न होना एंव कार्य"ील पूजी न मिलना, अनियमित विद्युत आपूर्ति तथा प्रबन्धकीय अकु"ालता आदि इकाई के बीमार हो जाने के मुख्य कारण है। बीमार उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार कार्य नही कर पाते और घाटे में आकर बन्द हो जाते है। जिससे वित्तीय संस्थाओ द्वारा दिये गये त्रण की वसूली सुनि"चित नही हो पाती इसमें लगे लोंगो को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है रुग्ण इकाईयो को सुविधा प्रदान करने और समस्याओ का निराकरण करने हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त को अध्यक्षता में मण्डलीय पुनर्वासन सीमित कार्यरत है। मण्डलीय पुनर्वासन सीमित की संतुति पर वित्तीय संस्थाओ द्वारा पुनर्वासन पैकेज तैयार करने अथवा अपेक्षित सुविधाओ में अनाव"यक विलम्ब करने पर अथवा मण्डलीय पुनर्वासन समित द्वारा रुग्ण घोषित करने से मना करने पर सुनवाई हेतु सचिव लघु उद्योग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अन्तर संस्थान समित गठित की गई है।

प्रदेश में रुग्ण लघु औद्योगिक इकाईयो का पुनर्वासन

1.	रुग्ण घोषित करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र	234
2.	आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर पत्रावलित	92
3.	मण्डल स्तरीय समिति को सन्दर्भित	192
4.	रुग्ण घोषित इकाईया	124
5.	रुग्ण घोषित होने के बाद निरस्त	66
6.	पुनर्वासन इकाईयो की संख्या	34

प्रसार एंव प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह योजना अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियो के लिए संचालित की जा रही है इस समुदाय के लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे है तथा अधिका"ा लाभ्यार्थी दूर दराज के गांवो में रहते हैं एसे लाभ्यार्थीयों को चयनित कर उनमें स्किल्ड डेवलपमेंट पैदा करने हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियो की मांग के अनुसार व्यवहारिक प्र"िक्षण प्रदान किया जाता है।

प्र"िक्षण निम्नलिखित ट्रेडो में दिया जायेगा।

1. बढ़ई
2. सुरक्षा गार्ड
3. दुपहिया वाहन रिपेयरिग
4. ट्रेक्टर रिपेयरिग
5. बांसबेत
6. बोंरिग मिस्त्री
7. इलेक्ट्री"ियन
8. टेलरिग
9. बिजली के छोटे मोटे समान की रिपेयरिग करना।
10. प्लम्बरिंग
11. मेडिकल नसिग आया
12. पंचर रिपेरिग
13. राज मिस्त्री
14. कालीन दरी बुनाई
15. साड़ियो की कढ़ाई छपाई

वित्तीय वर्ष 2007–08 में 2093 लक्ष्य के सापेक्ष 2086
वित्तीय वर्ष 2008–09 में 5629 लक्ष्य के सापेक्ष 5589
वित्तीय वर्ष 2009–10 में 3721 लक्ष्य के सापेक्ष 3721
वित्तीय वर्ष 2010–11 में 4431 लक्ष्य के सापेक्ष 4425
वित्तीय वर्ष 2011–12 में 6221 लक्ष्य के सापेक्ष 6215
व्यक्तियों को समस्त जिला मे प्र"िक्षण दिया गया।
वित्तीय वर्ष 2007–08 में 2093 लक्ष्य के सापेक्ष 2086
वित्तीय वर्ष 2007–08 में 2093 लक्ष्य के सापेक्ष 2086

महिला उद्यमी प्रकोष्ठ

महिलाआ को जाग्रत करने एंव उन्हे स्वलम्बी बनाने हेतु उन्हे स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उदद्े"य से महिला उद्यमी प्रकोष्ठ का गठन अप्रैल 1990 में किया गया तथा प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में महिला उद्यमी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई इसके मुख्य उदद्े"य निम्नलिखित है।

1. महिलाओ को स्वरोजगार वि"ोष कर उद्योगो में प्रोत्साहन देना।

2. उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक सुविधाय जैसे वित्तीय सहायता भमि/भवन की सहायता तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तु के विपणन में सहायता देना।
3. उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न विभागो द्वारा दी जा रही सुविधाये को विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके महिला उद्यमी को उपलब्ध कराना।

ई–गर्वेन्स

औद्योगिक प्रतिष्ठानो, शोध छात्रो एंव विभिन्न संस्थाओ द्वारा समय–समय पर मांगी जाने वाली सूचनाये तथा उद्यमियो हेतु सार्थक एंव अद्यतन साम्रगी विभागीय वेवसाईट के माध्यम से सुलभ कराया जाता है, इसी क्रम में उद्यमियो की सहायता में वृद्वि हेतु आनलाइन ट्रेड पोर्टल एंव एम. एस. ई. डी. अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनज्ञापन 1 व 2 की स्वाचालित पावती निर्गमन व्यवस्था ई उद्योग का औपचारिक उदघाट्न उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 16 नवम्बर 2012 को किया गया प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र पर हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई।

उद्योग बन्धु

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के विकास को गति देने के उददेश्य से 1981 में उद्योग बन्धु की स्थापना एक बन्धु संचालक समिति के रुप की गई जिससे लघु/माध्यम/वृहद औद्योगिक इकाईयो की समय बद्व स्थापना एंव सम्बंधित समस्याओ के निराकरण सुनिश्चित करने हेतु उचित सहायता प्रदान की जा रही है प्रगति से औद्योगिक वातावरण के सृजन के महात्वाकांक्षी उद्यमियो को प्रेरित करने तथा आधारभूत सुविधओ जैसे भूमि विद्युत, वित्त तथा अनुमन्य प्रोत्साहन एंव सुविधाओ की यह संस्था न केवल जानकारी उपलब्ध करा रही है बल्कि औद्योगिक नीतियो का प्रतिपादन तथा शासकीय प्रावधानो के फलस्वरुप अनुभव की जा रही बाधओ के लिए नीतिगत निर्णय लेने तथा नीतियो में यथासम्भव आवश्यक संशोधन कराने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है।

उद्योग निदेशालय के अधिकारियां/कर्मचारियों की दक्षता अभिवृद्धि हेतु

प्रदेश के औद्योगिक एंव उपयुक्त वातावरण के सृजन तथा शासन की नीतियो क क्रियान्वयन के लिए अधिकारियो और कर्मचारियो का निरन्तर प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है जिला उद्योग केन्द्र जनपदो में समन्वय एंव प्रसार का कार्य करता है। उद्यमियो को इस्कार्ट सेवा उपलब्ध कराना समस्त क्रियाकलापो का केन्द्र बिन्दु बन गया है अतः प्रभावी समन्वय, समन्वय के लिए दक्षता सम्पर्क एंव परामर्श हेतु पर्याप्त जानकारी और औद्योगिक विकास से सम्बन्धित विभागो के साथ–साथ रेगुलेरटी डिपार्टमंटस के नियम एंव प्रक्रियाओ की जानकारी अधिकारियो के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त समसामयिक परिर्वतनो के अनुसार दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रमो का आयोजन एंव विभिन्न शोध एंव प्रशिक्षण संस्थानो के द्वारा आयोजित कार्यक्रमो में भाग लेना महत्वपूर्ण है।

उद्योग व्यापार एंव वाणिज्यिक जगत में हो रहे राष्ट्रीय एंव अर्न्तराष्ट्रीय परिवर्तनो से सम्बन्धित बिन्दुओ पर सेमिनार्स तथा कार्यशालाओ के आयोजन द्वारा अधिकारियो को नीतियों रणनीतियों कार्यशैली दृष्टिकोण के पुनरीक्षण तथा इनमें निहित कमियो एंव त्रुटियो को चिन्हिति करने का अवसर प्रदान करते है संभावित परिवर्तनो के प्रभावो का विश्लेषण और आवश्यक तैयारियो पर विचार करने के लिए अच्छे प्लेटफाम सिद्व हो रहे है।

हस्त शिल्प उद्योग

उत्तर प्रदेश अपनी परम्परागत शैली के कारण अपने हस्त शिल्प उद्योग में विशिष्ट स्थान रखता है। मुख्यतः बनारसी शिल्प में ब्रोकेट भदोही व मिर्जापुर में कालीन लखनऊ में चिकन तथा आगरा का कलात्मक संगमरमर का सामान, मुरादाबाद तथा वाराणसी में पीतल के पात्र एंव सहारनपुर में नक्काशीदार लकड़ी का सामान आदि की मांग अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में अधिक है। देश के कुल निर्यात में हस्तशिल्प की सहभागिता लगभग 70 प्रतिशत है। एन. सी. ए. आई. आर. द्वारा 1995–96 में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर दिसम्बर 1997 में प्रकाशित आकड़ो के अनुसार प्रदेश में 283804 इकाईयो में 1176529 शिल्पी कार्यरत है।

वर्तमान में 25 लाख हस्तशिल्पी अनुमानित है, उपरोक्त सर्वेक्षण में अनुमानित उत्पादन 1800 करोड़ एंव उत्पादन लागत रुपये 800 करोड़ अनुमानित है। राज्य सरकार ऐसे हस्त शिल्पियो को प्रोत्साहन देने के लिए अनवरत रुप से प्रयत्नशील है तथा इसके समुचित विकास के लिए समय–2 पर योजना बद्व योजनाय चलाई गई है।

एसाइड योजना

यह योजना 2002–03 से आरम्भ हुई। भारत सरकार की एसाइड योजना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. के स्थान पर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उत्तर प्रदेश को एसाइड योजना को नोड़ल एजेंन्सी नामित किया गया निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसाइड़ योजना की नोड़ल ऐंजेन्सी निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश की एसाइड योजना की धनराशि सीधे निर्गत की जा सकती है एसाइड योजना के अर्न्तगत मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित है इस राज्या स्तरीय समिति के द्वारा प्रदेश में निर्यात संर्वधन हेतु ढ़ाचा गत सुविधाओ की स्थापना एंव विकास से सम्बन्धित योजनाओ का परीक्षण कर एसाइड फंड से सहायता धनराशि स्वीकृत की जाती है। नोडल एंजेन्सी निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य स्तरीय समिति के स्तर से स्वीकृत परियोजनाओ को एसाइड फंड से धनराशि अवमुक्त करते हुए अवमुक्त धनराशि की सदउपयोगिता सुनिश्चित करायी जाती है।

प्रदेश में नियोजित आर्थिक विकास का शुभांरम्भ 1951 में प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से हुआ 1951 से 2012 तक बारह पंच वर्षीय योजनाए आ चुकी है, परन्तु अभी तक किसी पंचवर्षीय योजना ने अपना पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नही किया प्रदेश के सुनियोजित औद्योगीकरण एंव उपयुक्त वातावरण के सृजन तथा शासन की नीतियो के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियो और कर्मचारियो का निरंतर प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है जिला उद्योग केन्द्र जनपदो में समन्वय एंव प्रसार का कार्य कर रहे है तथा

उद्यमियो को इस्कार्ट सेवा उपलब्ध कराना समस्त क्रिया कलापो का केन्द्र बिन्दु बन गया है।

उद्योगो एंव निवे"ाको को आकर्षित करने के उददे"य से प्रदे"ा सरकार ने उद्योगो के लिए सड़क की अच्छी व्यवस्था एंव सरल कर प्रणाली लागू करने तथा उद्योगो के लिए सुचारु विद्युत व्यवस्था की नीति पर लगातार विचार कर रही है और उसे लागू करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है।

उत्तर प्रदे"ा में ओद्योगिक विकास की दर अन्य राज्यो से कम है तथा आर्थिक सुधारो के उपरान्त प्रदे"ा में औद्योगिक विकास की दर में वृद्वि हेतु पर्याप्त संभावनाओ का विकास हुआ है उत्तर प्रदे"ा में औद्योगिक विकास में वुद्वि हेतु सामाजिक ढ़ाचा आधारभूत संसाधनो को विकसित करने हेतु नीतिगत उपाय तथा व्यक्तिगत प्रयास सार्वजनिक–निजि सहभागगिता के आधार पर किया जा सकता है।

संदर्भ

1. Das, Tarun, Economic Reforms in India, Bank of Maharashtra, Pune, 2003
2. Gangappa, K. et al., Marketing Rural Non-Farm Products in Indiaa: Lesson From Some Development interventions, Indian Journal of Commerce, Vol. (5), (2&3), Spril-Sept., 1998
3. Gokaran, S. et al, The structure of Indian Industry, Oxford University Press, Delhi, 2004.
4. Goldar, Bishwanath, Productivity Growth in Indian Manufacturing in the 1980's and 1990's in India:Indsutrialization in a Reforming Economy, by (Ed.) Tendulkar, S. etal, Academic Foundation, Delhi, 2006.
5. IDS, Economic Reforms at State Level, Institute of Development Studies, Lucknow University, Lucknow, 2004.
6. IGIDR, India Development Report, 2003, OUP Delhi, 2003.
7. IGIDR, India Development Report, 2005 OUP, Delhi, 2005
8. ILO, A Review of Policy and Regulatory Environment for MSE, in U.P. ILO, Delhi, 2005.
9. Jalan, Bimal, India's Economic Policy, Preparing for the Twenty-first Century, Delhi : Viking Penguin India, 1996